

जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार, में अलीगढ़ जिले के "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2025 को, जिलाधिकारी कार्यालय नवीन सभागार, अलीगढ़ में "जल जीवन मिशन" योजनान्तर्गत सम्पन्न समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
2. श्री लोकेश शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
3. श्री हेमन्त कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
4. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई, अलीगढ़।
5. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, मै० आरवी एसोसियेट, अलीगढ़।
6. समस्त जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
7. श्री नरेश माहेश्वरी, परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स-आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि०, अलीगढ़।
8. श्री गौरव शर्मा, परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०।
9. श्री ग्यान प्रकाश, परियोजना प्रबन्धक, मै० कल्पतरु (जे०एम०सी०)।
10. समस्त प्रतिनिधि, आई०एस०ए० एजेन्सी अलीगढ़।

जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ में सूचीबद्ध फर्मों क्रमशः 1-मैसर्स-आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि०, अलीगढ़, 2-मैसर्स कल्पतरु (जे०एम०सी०), अलीगढ़ एवं 3-मैसर्स पी०एन०सी० इन्फ्राटैक लि०, अलीगढ़ द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी जिसमें निम्नानुसार निर्देशित किया गया :-

1. **मै० आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि०:-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज-2) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 155 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और अत्यन्त धीमी है। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के पास मैन पावर एवं पर्याप्त कोष की कमी होने के कारण 155 नग शिरोपरि जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 130 नग शिरोपरि जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से 35 स्थानों पर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियन्ता को उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें एवं दिनांक 31.10.2025 तक कम से कम 15 अन्य शिरोपरि जलाशय पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु फर्म को आदेशित किया गया। साथ ही फर्म के प्रतिनिधि को यह भी निर्देशित किया गया कि अगले माह के अन्त तक हर घर जल प्रमाणित ग्रामों की संख्या 11 से 16 किया जाना सुनिश्चित करे एवं जिन ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है उसकी संख्या एक माह के अन्दर 67 से 77 कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त 76872 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 70192 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक को प्रतिदिन 100 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 207 राजस्व ग्रामों में से 164 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी ट्रेंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है। साथ ही अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक 10 योजनाओं के 11 राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कर उनको "हर घर जल" घोषित कर सरटीफाईड करा लिया गया है।
2. **मै० कल्पतरु जे०एम०सी०:-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज-3) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 151 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और धीमी है। फर्म के पास मैन पावर की कमी होने के कारण 156 नग शिरोपरि जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 141 नग शिरोपरि जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से 67 स्थानों पर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मै० कल्पतरु (जे०एम०सी०) के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वस्त किया गया कि 31 अक्टूबर 2025 तक समस्त शेष

योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 208 लक्षित राजस्व ग्रामों के सापेक्ष उनके द्वारा 105 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अन्य 10 राजस्व ग्रामों जिन पर पाइप लाइन एवं एफ0एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी राजस्व ग्रामों में 1 माह के भीतर निरन्तर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त 63963 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 60102 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना निदेशक को प्रतिदिन 100 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 208 राजस्व ग्रामों में से 186 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी ट्रेंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है। साथ ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक 34 राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कर उनको "हर घर जल" घोषित कर सरटीफाईड करा लिया गया है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक को एक में अन्य 5 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणिकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं अन्य 12 योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य माह अक्टूबर में पूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

3. **मै0 पी0एन0सी0 लि0:-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज-3) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 418 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और कम है। फर्म के पास मैन पावर की कमी होने के कारण 417 नग शिरोपरि जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 390 नग शिरोपरि जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से 109 स्थानों पर शिरोपरि जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए फर्म के परियोजना प्रबन्धक को 31 अक्टूबर 2025 तक अन्य 15 योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मै0 पी0एन0सी0 लि0 के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वस्त किया गया कि 31 अक्टूबर 2025 तक समस्त शेष योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा लक्षित 654 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 351 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अन्य योजनाओं जिन पर पाइप लाइन एवं एफ0एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन 25 राजस्व ग्रामों को चिन्हित कर उनपर निरन्तर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त 253041 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 243532 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक को प्रतिदिन 50 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 654 राजस्व ग्रामों में से 537 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी ट्रेंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है। जिसपर महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, को उक्त राजस्व ग्रामों का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराने को निर्देशित किया गया। अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक 73 राजस्व ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कर उनको "हर घर जल" घोषित कर सरटीफाईड करा लिया गया है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक को एक माह के भीतर अन्य 10 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणिकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं अन्य 15 राजस्व ग्रामों चिन्हित कर उनपर निरन्तर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। यह जांच कराने के आदेश दिये गये कि ग्राम पंचायतों में कोई भी मजरा ऐसा ना हो जिसमें पाइप लाइन बिछाने का कार्य नहीं कराया गया एवं गृह जल संयोजन का कार्य शेष है।

जिलाधिकारी महोदय, द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सभी फर्मों को पुनः निर्देशित किया गया है कि दिनांक 31.10.2025 तक दिये गये लक्ष्यों को पर्याप्त मैन पावर लगाते हुये पूरी गंभीरता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जल जीवन मिशन के कार्यों में हर माह घटकवार 15 प्रतिशत से अधिक तीव्रता लाने को आदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी फर्मों को उन स्थानों पर जहां द्यूबवैल वोरिंग इत्यादि शेष है अथवा खारा पानी पाये जाने के कारण नवीन भूमि का चिन्हांकन किया जाना है उन सभी योजनाओं पर ई0आर0टी0 टैस्ट के माध्यम से भूमि के चिन्हांकन हेतु निर्देशित किया गया,

साथ ही जिन स्थानों पर वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी स्थानों को तत्पश्चात मोटरबल किया जा चुका है एवं यथाशीघ्र पाइप लाईन टेस्टिंग कराते हुये काटी गयी ट्रेंच के पुनर्स्थापन का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त फर्मा को उन योजनाओं को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया जिन पर 80-प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण है तथा आगामी समय में ओ0एण्ड0एम में ले जाना प्रस्तावित हैं। बैठक में उपस्थित सभी आई0एस0ए0 संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई को महादय द्वारा आदेशित किया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर फेज-1 के शेष कार्य जैसे बैंक में खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विलों पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। अन्त में अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि अवशेष सभी स्कूल, आगनवाड़ी एवं आरोग्य केन्द्रों में सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर को लगाकर जल संयोजन प्रदान किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।


(लोकेश शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता


(संजीव रंजन)
जिलाधिकारी अलीगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
पत्रांक- 2381/पिरी/अनु.आ0/78 दिनांक- 13-10-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
5. जिला पंचायतराज अधिकारी, अलीगढ़।
6. जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़।
7. खण्डान्तर्गत समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई, अलीगढ़।
9. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0, मै0 आरवी एसोसियेट, अलीगढ़।
10. परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- आयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, अलीगढ़।
11. परियोजना प्रबन्धक, मै0 पी0एन0सी0, अलीगढ़।
12. परियोजना प्रबन्धक, मै0 कल्प-तारु जे0एम0सी0, अलीगढ़।


अधिशासी अभियन्ता